

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 48/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

चोलामण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी पवन नागर

पंजीकृत कार्यालय:- चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 एवं सी 55, 4, थिरु-वी-का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चैन्नई, तमिलनाडु-600032

शाखा कार्यालय:- 5वीं, 6वीं मंजिल, प्लॉट नं. 306, 308, 309, गोम्स डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राज.-302021

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. प्रशांत कुमार कुमावत

प्रथम पता:- वार्ड नं. 9 गौशाला के पास, ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

द्वितीय पता:- खसरा नं. 1309, 1310, 1317, 1318, 1319, 1321, वार्ड नं. 9, ग्राम दांता, बालाजी मंदिर के पास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

2. नंद कुमावत

प्रथम पता:- वार्ड नं. 9 गौशाला के पास, ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

द्वितीय पता:- खसरा नं. 1309, 1310, 1317, 1318, 1319, 1321, वार्ड नं. 9, ग्राम दांता, बालाजी मंदिर के पास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

3. सुमन कुमारी

प्रथम पता:- वार्ड नं. 9 गौशाला के पास, ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

द्वितीय पता:- खसरा नं. 1309, 1310, 1317, 1318, 1319, 1321, वार्ड नं. 9, ग्राम दांता, बालाजी मंदिर के पास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **प्रशांत कुमार कुमावत, नंद कुमावत एवं सुमन कुमारी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल आवासीय सम्पत्ति खसरा नं. 1309, 1310, 1317, 1318, 1319, 1321, वार्ड नं. 9, ग्राम दांता, बालाजी मंदिर के पास, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर, राज. -332702** में अवस्थित आवासीय भूखण्ड/गुवाड़ी है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 5550 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूर्वदिशा में 20 फीट रास्ता के बाद नन्दलाल की भूमि, पश्चिम दिशा में झुंथा राम का प्लॉट, उत्तर दिशा में स्वयं की खाली भूमि व दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹29,90,000 /- (अक्षरे रूपये उनतीस लाख नब्बे हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.09.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।



(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **प्रशांत कुमार कुमावत, नंद कुमावत एवं सुमन कुमारी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल आवासीय सम्पत्ति खसरा नं. 1309, 1310, 1317, 1318, 1319, 1321, वार्ड नं. 9, ग्राम दांता, बालाजी मंदिर के पास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.-332702** में अवस्थित आवासीय भूखण्ड/गुवाड़ी है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 5550 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूर्वदिशा में 20 फीट रास्ता के बाद नन्दलाल की भूमि, पश्चिम दिशा में झुंथा राम का प्लॉट, उत्तर दिशा में स्वयं की खाली भूमि व दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशीष मोदी)
 (आशीष मोदी)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर